

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, म.प्र.शासन राजस्व विभाग, जिला-धार (म.प्र.)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक ...../अ-82/2017-18

क्रमांक/ 29 /भू-अर्जन/2019

दिनांक 2.../1.../2019

// उद्घोषणा //

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1. भूमि का वर्णन - (क) जिला - धार (ख) सहस्रील - धार  
(ग) ग्राम - गरडावद (घ) अर्जित रकबा - 0.400 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में
1045/2	0.060	1036	0.190	852	0.110	856	0.040
योग							0.400

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगांव -खेरोद मार्ग के पुर्ननिर्माण/उन्नयन कार्य हेतु।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

म.प्र.शासन के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

  
(श्रीकांत बनोठ)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव


म.प्र.शासन राजस्व विभाग, जिला-धार (म.प्र.)

धार, दिनांक 2.../1.../2019

पृ. क्र./ /भू-अर्जन/2019 30

प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल म.प्र.की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
2. अपर संचालक, (विज्ञापन) जन सम्पर्क संचालनालय, बाणगंगा रोड भोपाल म.प्र. की ओर दो स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में प्रकाशन हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी, (रा.), क्षेत्र धार की ओर स्थानीय स्तर पर चस्पा हेतु।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कलेक्टोरेट जिला-धार की ओर भेजकर लेख है कि उक्त उद्घोषणा का समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करे।
5. सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग धार म.प्र.।
6. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि उद्घोषणा को समुचित सरकार की वेबसाईट पर प्रकाशित करारकर प्रकाशन की स्थिति से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र-धार को तत्काल अवगत कराए।

  
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

म.प्र.शासन राजस्व विभाग, जिला-धार (म.प्र.)

2